T

संख्या 389 /XXIV-3/2006/2(72)/

प्रेषक,

एस0 के0 माहेश्वरी,
अपर सचिव,
उत्तरॉचल शासन

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तरॉचल, देहरादून ।

शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून दिनॉक 27 जुलाई,2006

विषयः जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान चड़ीगॉव, पौड़ी महिला छात्रावास एवं छात्रावास के निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या नियोजन–2/10234/डायट पौड़ी भवन/2006–07 दिनॉंक 06–6–2006 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान चड़ीगांव, पौड़ी के निम्नलिखित 44 शैय्या युक्त महिला छात्रावास एवं 16 शैय्या युक्त सामान्य छात्रावास के निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, श्रीनगर गढ़वाल द्वारा गठित आगणन की आंकलित लागत कालम–2 के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित धनराशि कालम–3 पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए अनुमोदित लागत के सापेक्ष कालम–4 में अंकित विवरणानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 में स्वीकृत की जा रही धनराशि रू0 51.80 लाख (रूपये इकावन लाख अस्सी हजार मात्र) की धनराशि को, शासनादेश संख्याः 233/XXIV-3/2006 दिनॉक 27–04–2006 द्वारा प्रश्नगत योजना में आपके निवर्तन पर रखी गयी धनराशि रू0 400.00 लाख में से व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:–

(धनराशि लाख में)

कार्य का नाम	आगणन की आंकलित लागत	अनुमोदित लागत धनराशि	स्वीकृत की जा रही धनराशि
1	2	3	4
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, चड़ीगॉव, पौड़ी के छात्रावासों का निर्माण	-	-	-
1– 44 शैय्या युक्त छात्रावास	92.37	88.70	35.00
2– 16 शैय्या युक्त छात्रावास	18.34	16.80	16.80
योग–	110.71	105.50	51.80

(12)— निर्माण की गुणवत्ता के लिए संबंधित निर्माण ऐजेन्सी उत्तरदायी होगी।

2— उपर्युक्त धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय और जहाँ आवश्यक हो, व्यय करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर यथा समय शासन तथा महालेखाकार को उपलब्ध करा दिया जाय। स्वीकृति की प्रत्याशा में अनानुमोदित व्यय कदापि न किया जाय।

3— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू आय—व्ययक में चालू वित्तीय वर्ष 2006—07 के आय—व्ययक में अनुदान संख्या 11 के अधीन लेखा शीर्षक 4202— शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय — 01— सामान्य शिक्षा— 202—माध्यमिक शिक्षा — आयोजनागत—00— 19— जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों का भवन निर्माण —24— वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

4— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या— 450 दिनॉक 18—7—2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0 के0 माहेश्वरी)
अपर सचिव

संख्याः 389(1)/ XXIV—3/2006 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार, उत्तरॉचल, देहरादून।
2— निजी सचिव,मा0 मुख्यमंत्री जी।
3— निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी।
4— निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
5— आयुक्त,गढ़वाल मण्डल,पौड़ी।
6— मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल,पौड़ी।
7— जिलाधिकारी, पौड़ी।
8— कोषाधिकारी, पौड़ी ।
9— प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, चड़ीगॉव, पौड़ी।
10— बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
11— वित्त अनुभाग—3/कम्प्यूटर सेल, वित्त विभाग।
12— एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तरांचल, देहरादून।
13— नियोजन प्रकोष्ठ।
14— संबंधित निमार्ण ऐजेन्सी।
15— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव

(1)– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गयी हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।

(2)– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/ मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य को प्रारम्भ न किया जाय।

(3)– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(4)– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त कार्य टेकअप किया जाये।

(5) – कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/ विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

(6)– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भलीभॉति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

(7)– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(8)– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाये तथा उपयुक्त पायी जानी वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाये।

(9)– जी0पी0डब्लू0 फार्म 9 की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जोयगा।

(10)– किसी भी कार्यालय/संस्थाओं के निर्माण को विस्तृत आगणन गठित करते समय स्वीकृत ज्ञातव्य एवं नार्मस के अनुसार गठित किया जाये तथा उसकी सूचना प्रशासनिक विभाग को भी दें।

(11)– शासनादेश संख्या 2047/XIV-219(2002)दिनॉक 30–5–2006 द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में कार्य करते समय कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।